राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या :– 21/2019
में
अपील संख्या :– 420/2006

आनन्द स्वरूप अग्निहोत्री **–प्रार्थी/अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन भवन, वानिकी पथ, सी–स्कीम, जयपुर।

–अप्रार्थी/प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.10.2019
आदेश की दिनांक : 06.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री मधुकर तिवाड़ी, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 420/2006 में प्रस्तुत किया गया, जिस पर बहस सुनी गई।

प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2019 को पुनरावलोकन किया जाकर अपीलार्थी की अपील को पुनः नम्बर पर लेकर प्रार्थी की अपील में चाहा गया अनुतोष प्रदान करने के निर्देश फरमाए जावें।

प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी ने अपील संख्या 420/2006 दायर की थी कि उसे आर.पी.एस.सी. की चयन सूची के अनुसार रेंजर ग्रेड–प्रथम के पद पर वरिष्ठता दी जाए और उसे दिनांक 29.01.2005 को प्रकाशित वरिष्ठता सूची में सही स्थान पर रखा जाए। दिनांक 29.08.2019 के निर्णय द्वारा अपील को स्वीकार कर लिया गया और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए गए कि राजस्थान फोरेस्ट सर्बोडिनेट सर्विस रूल्स, 1963 के नियम 29(3A) के अनुसार प्रार्थी

की वरिष्ठता का निर्धारण करते हुए मेरिट के अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार की जाए। मेरिट का निर्धारण प्रतियोगी परीक्षा में कुल प्राप्तांक व रेंजर ट्रेनिंग कोर्स की अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के 50 प्रतिशत के आधार पर किया जाए और यदि ट्रेनिंग कॉलेज के अंक उपलब्ध नहीं हों तो वरिष्ठता का निर्धारण आर.पी.एस.सी. की चयन सूची के अनुसार किया जाए। एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 5820/1991 – नरेश चन्द चतुर्वेदी बनाम राजस्थान सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियम 29(3A) को समाप्त कर दिया गया है और डी.बी.सिविल स्पेशल अपील रिट संख्या 2852/1997 में इस निर्णय को अवधारित किया गया है। रामबाबू भारद्वाज के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आर.पी.एस.सी. से नियमित रूप से चयनित कार्मिक द्वारा ट्रेनिंग कॉलेज में बिताए गए समय की गणना सेवाकाल में ही की जाएगी। अतः ट्रेनिंग कॉलेज में प्राप्त अंकों का कोई महत्व नहीं है।

उपरोक्त आधारों पर दिनांक 29.08.2019 को दिए गए निर्णय में से *''राजस्थान वन अधिनस्थ सेवा नियम 1963 के नियम 29(3–ए) के प्रावधानुसार किया जाए यदि प्रत्यर्थी विभाग के पास रेंजर महाविद्यालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण परीक्षा का परिणाम व प्राप्त अंको का विवरण उपलब्ध नहीं हैं तो''* को हटाया जाए। निर्णय में से यह वाक्यांश हट जाने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि रेंजर ग्रेड प्रथम पर आर.पी.एस.सी. के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण में बिताए गए समय को सेवाकाल में माना जाएगा और उसी आधार पर उसकी वरिष्ठता, वार्षिक वेतन वृद्धि व पदोन्नति दी जाएगी।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि प्रार्थी की नियुक्ति रेंजर ग्रेड प्रथम की नियुक्ति वर्ष 1978 में हुई थी। अतः माननीय उच्च न्यायालय के एस.बी.सी.डब्ल्यू. पी. नं. 5820/1991 में दिए गए निर्णय की अनुपालना में राजस्थान फोरेस्ट सर्बोडिनेट रूल्स, 1963 के नियम 29(3) के अनुसार कि प्रार्थी की वरिष्ठता निर्धारित की गई थी। दिनांक 29.08.2019 के निर्णय में भी माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय का उल्लेख किया गया है और वरिष्ठता सूची को नियम 29(3)(a) के अनुसार पुनर्निधारित करने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के एस.बी. सी.डब्ल्यू.पी. नं. 5820/1991 में दिए गए निर्णय के विरूद्ध है। किसी भी नियम को टुकडों में लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें आर.पी.एस.

सी. की मेरिट सूची के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित करने की बात कही गई हो। प्रार्थी के प्रशिक्षण काल को सेवाकाल में सम्मिलित करके ही उसका फिक्सेशन पुनर्निधारित किया गया है। अपीलार्थी व सभी रेंजरों की वरिष्ठता नियम 29(3) के अनुसार निर्धारित की गई है। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अधिकरण ने प्रार्थी/अपीलार्थी की अपील में जो तथ्य उठाये थे, उन पर विस्तृत रूप से विचार करते हुए एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त जवाब के पश्चात् दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् दिनांक 29.08.2019 को आदेश पारित किया। प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपील में जिन आधारों एवं तथ्यों का उल्लेख किया था, उन समस्त तथ्यों एवं आधारों पर विचार करते हुए अधिकरण ने विस्तृत आदेश पारित किया है। हमारे मत में रिव्यू प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई नया तथ्य या आधार नहीं लिखा गया है, जो अपील में अंकित किया गया हो एवं उसका विचार होने से रह गया हो। हमारे मत में अधिकरण द्वारा अपने आदेश को उसी अवस्था में रिव्यू किया जा सकता है जबकि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तथ्यों पर विचार होने से रह गया हो। हमारे मत में प्रार्थी/अपीलार्थी को भी प्रार्थना पत्र में नये तथ्यों एवं आधार उठाने का विधिक अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/अपीलार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र आधारहीन एवं सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य